रजिस्टर्ड नं० पी०/एस०एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 26 अगस्त, 1981/4 भाद्रपद, 1903

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

"ग अनुभाग"

अधिसूचना

शिमला, 17 अगस्त, 1981

संख्या-जी० ए० डी०(पी०ए०)-4 (डी०)-13/77-जी०ए० सी०.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सहर्ष निदेश देते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मन्त्रियों के (भवन निर्माण हेतु अग्रिम ऋण) नियम, 1981 जो कि अधिसूचना संख्या सा० व्र० वि० (पी०ए०)-4(ध)-49/78-ग-खण्ड-II, दिनांक 30 मार्च, 1981 द्वारा हिमाचल प्रदेश (असाधारण) राजपत्र, दिनांक 31 मार्च, 1981 में प्रकाशित हुए थे, हिमाचल प्रदेश के मुख्य संसदीय सचिव तथा संसदीय सचिव को भी, समय-समय पर तथा संशोधनों सहित, तत्काल लागू होंगे और ये भारतीय संविधान के उक्त अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) के अधीन बनाये गये समझे जाएंगे ।

आदेश, द्वारा
के० सी० पान्डिया,
मुख्य सचिव ।

1503-राजपत्र-26-8-81—1075.

मूल्य: 20 पैसे ।

Authoritative English text of the Government notification No. GAD (PA) 4 (D) 13/77., dated 17-8-81 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(C-SECTION)

NOTIFICATION

Simla-2, the 17th August, 1981

No. GAD (PA) 4 (D) 13/77.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 283 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to direct that the Himachal Pradesh Ministers (Advance of Loan for House Building) Rules, 1981, published *vide* Notification No. GAD (PA) 4 (D) 49/78-C-Vol-II, dated 30th March, 1981 in the Himachal Pradesh Rajpatra, Extraordinary, dated the 31st March, 1981, as amended from time to time, shall apply *mutatis mutandis* to the Chief Parliamentary Secretary and Parliamentary Secretary for the State of Himachal Pradesh with immediate effect and these shall be deemed to have been made under the said clause (2) of Article 283 of the Constitution of India.

By order,
K. C. PANDEYA,
Chief Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।